पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांक1714 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 दिनांक : 19 .09.2023

विषय :– राज्य सरकार के नियन्त्राणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी पिटकुल,
.... ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0 153174/XXVII(7)/E-41734/2022 दिनांक 11.09.2023 द्वारा राज्य सरकार के नियन्त्राणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त के क्रम में राज्य सरकार के नियन्त्राणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0 153174/XXVII(7)/E-41734/2022 दिनांक 11.09.2023 की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(औ0)

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 तद्‌दिनाक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री आपरेटर–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन)/पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. कट फाईल।

संलग्नकः यथोपरि

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(औ0)

1/153174/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्या–153174/XXVII(7)/E-41734/2022
देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– **राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।**

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन **विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को** प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता द्वारा एवं वाह्य स्रोत से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।

(ii) प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता के द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में संबन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 11-09-2023 18:34:23
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)/E-41734/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख / मुख्य स्थानिक